उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 21.03.2018

पिटकुल हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये पारित टैरिफ आदेश : मुख्य बिन्दु

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (APR) एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के अनुमोदन हेतु दिनांक 29 नवम्बर, 2017 को आयोग के समक्ष पीटिशन प्रस्तुत की गई। उक्त पीटिशन के माध्यम से पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर सहीकरण (truing up) का अनुरोध भी किया गया है।
- आयोग द्वारा तद्नुसार इस टैरिफ आदेश में निम्न अनुमोदन किये गये हैं :–

  1. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सहीकरण (**truing up**)।

  2. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार का निर्धारण।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के सहीकरण (truing up) हेतु रू0 1.85 करोड़ की धनराशि का अधिशेष (Surplus) दर्शाया गया था, जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सहीकरण (truing up) हेतु कुल रू0 83.43 करोड़ का अधिशेष (Surplus) अनुमोदित किया गया है।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार तथा आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी प्रतिशत वृद्धि निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैः–

तालिका : वार्षिक पारेषण प्रभार (**ATC**) (रू0 करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष **2018-19**		
	टैरिफ आदेश में अनुमोदित	बहुवर्षीय टैरिफ आदेश (MYT) में अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
पिटकुल (ATC)	267.33	323.40	339.78	275.90
विगत वर्षों का सहीकरण का प्रभाव	-29.70	-	-1.85	-83.43
कुल	237.63	323.40	337.93	192.46
गतवर्ष की तुलना में वृद्धि (%में)			42.21%	-19.00%

****